## (भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

## भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड अधिसूचना सं. 12/2020- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 21 मार्च, 2020

सा.का. नि. ......(अ) – केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में, अधिसूचना सं. 21/2019-केंद्रीय कर, तारीख 23 अप्रैल, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 322 (अ), तारीख 23 अप्रैल, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था, का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु उक्त व्यक्तियों को, जो प्ररुप जीएसटी सीएमपी-08 में स्वनिर्धारित कर के संदाय के ब्यौरे से युक्त विवरण देने के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2019-2020 में कर अविधयों के लिए केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के अधीन प्ररुप जीएसटीआर-3 ख में विवरणी दिया है, ऐसे करदाता वित्तीय वर्ष 2019-2020 के सभी कर अविधयों के लिए उक्त नियमों के प्ररुप जीएसटीआर-1 में मालों या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति का विवरण या प्ररुप जीएसटी सीएमपी-08 में स्वनिर्धारित कर के भुगतान के ब्यौरे से युक्त विवरण देने की आवश यकता नहीं होगी।"

(फा. सं.20/06/03/2020 -जीएसटी)

(प्रमोद कुमार) निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण – मूल अधिसूचना सं. 21/2019 – केंद्रीय कर, तारीख 23 अप्रैल, 2019 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 322 (क), तारीख 23 अप्रैल, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था।